झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–: म0 नि0–XXIII–नीति–08 / 2022–23 / 1292/मत्स्य / राँची, दिनांक 18.11.2025

"संकल्प"

विषय : देशी मांगुर (*Clarias magur*) को झारखण्ड राज्य हेतु राज्य की ''राजकीय मछली (State Fish)''घोषित करने के संबंध में।

झारखण्ड में वृहत् जलीय संसाधन हैं, जिनमें जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए झारखण्ड राज्य हेतु **"राजकीय मछली"** घोषित करने की आवश्यकता है।

2. जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के उद्देश्य से वर्ष 2006 में भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR- National Bureau of Fish Genetic Resource) लखनऊ के द्वारा **राजकीय मछली** की अवधारणा लायी गयी।

कई अध्ययनों से प्राकृतिक श्रोतों में प्राकृतिक रुप से पायी जाने वाली मछलियों की कमी के संकेत मिले हैं। राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए राजकीय मछली घोषित करके उक्त प्रजाति की प्राकृतिक आबादी को ex-situ और in-situ संरक्षण (यथा Captive Propagation, Cryopreservation, Stock enhancement एवं Restoration) तथा Ranching के माध्यम से संरक्षित और सवंर्धित किया जाना चाहिए।

अब तक 21 राज्यों तथा 02 केन्द्र शासित प्रदेश के द्वारा इस अवधारणा को अपनाते हुए अपने–अपने राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश अन्तर्गत राजकीय मछली घोषित किया गया है।

3. भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resource) द्वारा State Fish घोषित करने के लिए निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :

- राजकीय मछली घोषित करने के लिए चयनित मछली का उपयोग खाद्य / सजावट / संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयुक्त होना चाहिए।
- क्षेत्रीय अथवा सांस्कृतिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में राजकीय मछली घोषित किया जाना चाहिए।
- राजकीय मछली घोषित करने के लिए उस प्रजाति का बीज उत्पादन की तकनीक अथवा तकनीकी विकास कार्यक्रम सुनिश्चित हो।

4. झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त कंडिकाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, औषधीय गुण तथा International Union for Conservation of Nature (2019) द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों (Threatened Species) की श्रेणी में सूचीबद्ध होने के कारण **देशी मांगुर (*Clarias magur*)** को झारखण्ड राज्य का राजकीय मछली घोषित किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–1253 दिनांक–07.11.2025 के क्रम में दिनांक–12.11.2025 की बैठक में मद संख्या–12 में दी गई है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को प्रेषित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–: म0नि0–XXIII–नीति–08 / 2022–23 / 1292 / मत्स्य / राँची, दिनांक–18/11 / 2025.
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–: म0नि0–XXIII–नीति–08 / 2022–23 / 1292 / मत्स्य / राँची, दिनांक–18/11 / 2025.
प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड के सचिव / झारखण्ड के सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–: म0नि0–XXIII–नीति–08 / 2022–23 / 1292 / मत्स्य / राँची, दिनांक–18/11 / 2025.
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची / कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–: म0नि0–XXIII–नीति–08 / 2022–23 / 1292 / मत्स्य / राँची, दिनांक–18/11 / 2025.
प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (मत्स्य), कृषि मंत्रालय, पशुपालन, गव्य विकास तथा मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली / कुलपति, CIFE, फिशरी युनिवर्सिटी रोड, सात बंगला, वर्सोवा, मुम्बई / निदेशक, CIFA, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर (उडीशा) / निदेशक CIFRI, बैरकपुर (प0 बंगाल) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव